


राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.
“कर-भवन”, अजमेर

क्रमांक: एफ-7(39)जन/2013/ 4376 - 4895

दिनांक: 07.03.13

प्रतिलिपि :- राजस्थान वित्त विधेयक, 2013 के अध्याय-4 में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-2, 35 एवं 36, धारा 56, धारा 63(क), धारा 85 में किये गये संशोधनों एवं अध्याय-5 में राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 की धारा-16 में संशोधन कर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर की प्रतिटन अधिकतम दर “पाँच सौ रुपये” के स्थान पर “पाँच हजार रुपये” किये जाने के प्रावधानों की छाया प्रति अवलोकनार्थ एवं पालनार्थ संलग्न कर प्रेषित है :-

- 1- शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2- समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
- 3- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्त लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
- 4- पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
- 5- अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त-भवन, जयपुर।
- 6- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
- 7- उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
- 8- अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
- 9- समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
- 10- समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान को पालनार्थ।
- 11- मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
- 12- उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
- 13- उप निदेशक (कम्प्युटर) मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 14- समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
- 15- निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
- 16- समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।


(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर

आदेश के पुनरीक्षण के लिए उच्च न्यायालय में इस आधार पर आवेदन कर सकेगा कि इसमें विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित है।

(2) आयुक्त, यदि वह धारा 28 के अधीन कर बोर्ड द्वारा या धारा 17 की उप-धारा (9) के अधीन पारित किसी भी आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए इस आधार पर कि इसमें विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित है, उच्च न्यायालय को आवेदन करने के लिए किसी अधिकारी को निदेश दे सकेगा; और ऐसा अधिकारी, पुनरीक्षित किये जाने के लिए ईप्सित आदेश के आयुक्त को लिखित में संसूचित किये जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिवस के भीतर-भीतर उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन में, पुनरीक्षित किये जाने के लिए ईप्सित आदेश में अन्तर्वलित विधि के प्रश्न का कथन होगा, और उच्च न्यायालय विधि के प्रश्न को किसी भी रूप में बना सकेगा या विधि के किसी भी अन्य प्रश्न को उठाने के लिये अनुज्ञात कर सकेगा।

(4) उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण के पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, उसे कथित किये गये या उसके द्वारा निश्चित किये गये विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और तदुपरांत ऐसा आदेश पारित करेगा जो मामले को निपटाने के लिए आवश्यक हो।।

अध्याय 4

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(ii) "बैंककार" से ऐसा कोई संगम, कोई कम्पनी या कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत राज्यक्षेत्र के भीतर, उधार देने या विनिधान करने के प्रयोजनार्थ जनता से धनराशियों के निक्षेप, जो मांग पर या अन्यथा

प्रतिसंदेय हों, और बैंक, ड्राफ्ट, आर्डर द्वारा या अन्यथा प्रत्याहरण स्वीकार करता है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

- (क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी;
- (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 56 के खण्ड (गगा) में यथा परिभाषित कोई सहकारी बैंक;
- (ग) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित इसके समनुषंगी बैंकों में से कोई भी बैंक और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) की धारा 3 और, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 40) के अधीन गठित तत्समान नये बैंकों में से कोई बैंक;"
- (ii) विद्यमान खण्ड (xvi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(xvi) "छापित स्टाम्प" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं:-

- (क) समुचित अधिकारी द्वारा चिपकाये गये और छापित लेबल;
- (ख) स्टाम्पित कागज पर समुद्रृत या उत्कीर्ण स्टाम्प;
- (ग) फ्रेंकिंग मशीन द्वारा छपाई;
- (घ) किसी भी अन्य पद्धति, जिसमें इलैक्ट्रॉनिक पद्धति सम्मिलित है, से कागज पर छपाई या मुद्रण; और

(ड) ऐसी अन्य छपाई जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;";

(iii) विद्यमान खण्ड (xxxiii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xxxiv) के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xxxiii-क) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो इसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 2 के खण्ड (ज) में समनुदेशित किया गया है;"; और

(iv) विद्यमान खण्ड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xxxvi) "स्टाम्प" से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा कोई चिह्न, मुहर, प्रमाणपत्र या पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इसमें कोई आसंजक या छापित स्टाम्प सम्मिलित है;";

10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 में,-

(i) उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "(जो पचास रुपये से अनधिक और दस रुपये से अन्यून हो)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(जो दो सौ रुपये से अनधिक और पचास रुपये से अन्यून हो)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "कलक्टर लिखत की" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "संक्षिप्ति और ऐसे" के पूर्व अभिव्यक्ति "सत्य प्रतिलिपि या" अन्तःस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "और जब तक कि ऐसी" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "संक्षिप्ति और साक्ष्य" के पूर्व अभिव्यक्ति "सत्य प्रतिलिपि या" अन्तःस्थापित की जायेगी।

11. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 36 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 36 की विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा. अर्थात् :-

"(2क) जब धारा 35 के अधीन कलक्टर के समक्ष लायी गयी कोई निष्पादित लिखत, उसकी राय में, इस प्रकार की है जो शुल्क से प्रभार्य है और उसके द्वारा अवधारित शुल्क, उस लिखत की वास्तव पहले ही संदत्त किये गये शुल्क से अधिक है तो वह ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर-भीतर, जो उसके द्वारा अनुज्ञात किया जाये, शेष रकम के संदाय की अपेक्षा करेगा और ऐसी रकम के संदाय पर कलक्टर, पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि उस पर प्रभार्य पूर्ण शुल्क (रकम का उल्लेख करते हुए) संदत्त कर दिया गया है।"

12. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 56 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 56 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा. अर्थात् :-

"56. शुल्कों और शास्तियों की वसूली.- (1) इस अध्याय के अधीन या अध्याय 3 के अधीन संदत्त किये जाने के लिए अपेक्षित सभी शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां कलक्टर द्वारा उस व्यक्ति की, जिससे वे देय हैं, जंगम या स्थावर संपत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा या भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूल की जा सकेंगी।

(2) इस अध्याय के अधीन या अध्याय 3 के अधीन संदत्त किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां उस संपत्ति पर प्रभार होंगी, जो उस लिखत की विषयवस्तु है।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रभार की प्रविष्टि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 15) में विनिर्दिष्ट अनुक्रमणिकाओं में की जायेगी और ऐसी प्रविष्टि उक्त अधिनियम के अधीन नोटिस समझी जायेगी।

(4) जहां लिखत की विषयवस्तु-

(i) कोई राजस्व भूमि हो, वहां उप-धारा (3) के अधीन अनुक्रमणिकाओं में प्रविष्टि प्रभार की एक प्रति, संबंधित तहसीलदार को भेजी जायेगी जो उस सूचना को भू-अभिलेख में प्रविष्टि करेगा; और

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित, या उसके व्ययनाधीन रखी गयी कोई भूमि हो या कोई भवन या उसका कोई भाग स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र के भीतर स्थित हो, वहां उप-धारा (3) के अधीन अनुक्रमणिकाओं में प्रविष्ट प्रभार की एक प्रति संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को भेजी जायेगी जो ऐसी भूमि या, यथास्थिति, भवन के संबंध में संधारित अभिलेखों में उस सूचना को प्रविष्ट करेगा।।

13. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 63-क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 63 के पश्चात् और विद्यमान धारा 64 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"63-क. स्टाम्पों का अविधिमान्य होना और व्यावृत्ति.- धारा 58, 61, 62 और 63 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी.-

(क) ऐसा कोई भी स्टाम्प, जिसे राजस्थान वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं) के प्रारंभ की तारीख (जिसे इसमें आगे "उक्त तारीख" कहा गया है) को या उसके पश्चात् क्रय किया गया है, उसके क्रय की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर उपयोग में लिया जायेगा या मोक के दावे के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा कोई भी स्टाम्प, जो क्रय किये जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर उपयोग में नहीं लिया गया हो या जिसके संबंध में मोक का कोई दावा नहीं किया गया हो, अविधिमान्य हो जायेगा;

(ख) ऐसा कोई भी स्टाम्प, जो उक्त तारीख से पूर्व क्रय किया गया हो किन्तु उपयोग में नहीं लिया गया हो या जिसके संबंध में किसी मोक का दावा नहीं किया गया हो, उक्त तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर, इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन उपयोग में लिया जा सकेगा या मोक के दावे के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा। ऐसा स्टाम्प, जिसे छह मास की पूर्वोक्त कालावधि के भीतर-भीतर उपयोग में नहीं लिया या प्रस्तुत नहीं किया गया है, अविधिमान्य हो जायेगा।।

14. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 85 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 85 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड (क) और (xxxvi)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड (क) और (xxxvii)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "अभिलेख, कागज, दस्तावेज या तत्संबंधी कार्यवाहियां हैं, जिसके निरीक्षण का" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों सहित अभिलेख, कागज, दस्तावेज या कार्यवाहियां हैं, जिनके निरीक्षण का" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-खण्ड अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तहसीलदार" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(घ) विद्यमान अभिव्यक्ति "कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों का निरीक्षण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों सहित अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों का निरीक्षण" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों या कार्यवाहियों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों सहित अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 5

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 में संशोधन

15. 2008 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 16 का संशोधन.- राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008, (2008 का अधिनियम सं. 11) की धारा 16 में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

section 17, direct any officer to apply to the High Court for revision of such order on the ground that it involves a question of law; and such officer shall make the application to the High Court within one hundred and eighty days of the date on which the order sought to be revised is communicated in writing to the Commissioner.

(3) The application for revision under sub-section (1) or sub-section (2) shall state the question of law involved in the order sought to be revised, and the High Court may formulate the question of law in any form or allow any other question of law to be raised.

(4) The High Court shall after hearing the parties to the revision, decide the question of law stated to it or formulated by it, and shall thereupon pass such order as is necessary to dispose of the case."

CHAPTER IV AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

9. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing clause (ii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) "Banker" means an association, a company or a person who accepts, for the purpose of lending or investment, deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by cheque, draft, order, or otherwise within the territories of India and includes-

(a) a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949);

(b) a co-operative bank as defined in clause (cci) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949);

(c) the State Bank of India constituted under section 3 of the State Bank of India Act, 1955 (Central Act No. 23 of 1955), any of its subsidiary banks as

defined in clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (Central Act No. 38 of 1959) and any of the corresponding new banks constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Central Act No. 5 of 1970) and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Central Act No. 40 of 1980), as the case may be;”;

(ii) for the existing clause (xvi), the following shall be substituted, namely:-

“(xvi) "impressed stamp" includes. -

- (a) labels affixed and impressed by the proper officer;
- (b) stamps embossed or engraved on stamped paper;
- (c) impression by franking machine;
- (d) impression or print on a paper by any other method including electronic method; and
- (e) such other impressions as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify;”;

(iii) after the existing clause (xxxiii) and before the existing clause (xxxiv), the following shall be inserted, namely:-

“(xxxiii-a) "securities" shall have the same meaning as assigned to it in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (Central Act No. 42 of 1956); ”; and

(iv) for the existing clause (xxxvi), the following shall be substituted, namely:-

“(xxxvi) "Stamp" means any mark, seal, certificate or endorsement by any agency or person duly authorised by the State Government, and includes an adhesive or impressed stamp, for the purposes of duty chargeable under this Act; ”.

10. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 35 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1) for the existing expression “(not exceeding fifty rupees and not less than ten rupees)”, the expression “(not

exceeding two hundred rupees and not less than fifty rupees)" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2),-

- (a) after the existing expression "require to be furnished with" and before the existing expression "an abstract of the instrument", the expression "a true copy or" shall be inserted; and
- (b) after the existing expression "proceed upon any such application until such" and before the existing expression "abstract and evidence", the expression "true copy or" shall be inserted.

11. Amendment of section 36, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3) of section 36 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"(2A) When an executed instrument brought to the Collector under section 35 is, in his opinion, one of the descriptions chargeable with duty and the duty determined by him exceeds the duty already paid in respect of the instrument, he shall require the payment of the balance amount within reasonable time as may be allowed by him and on payment of such amount the Collector shall certify by endorsement that the full duty (stating the amount), with which it is chargeable, has been paid."

12. Amendment of section 56, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 56 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"56. Recovery of duties and penalties.- (1) All duties, penalties and other sums required to be paid under this chapter or under chapter III may be recovered by the Collector by distress and sale of the movable or immovable property of the person, from whom the same are due, or by any other process for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue.

(2) All duties, penalties and other sums required to be paid under this chapter or under chapter III shall be a charge on the property which is the subject matter of the instrument.

(3) An entry of the charge referred to in sub-section (2) shall be made in the indices specified in the Registration Act, 1908 (Central

Act No. 16 of 1908) and such entry shall be deemed to be a notice under the said Act.

(4) Where the subject matter of the instrument is-

- (i) a revenue land, a copy of the charge entered into the indices under sub-section (3) shall be sent to the Tehsildar concerned who shall enter the information in the land records; and
- (ii) a land vested in, or placed at the disposal of, a local authority or a building or any part thereof situated within the area of a local authority, a copy of the charge entered into the indices under sub-section (3) shall be sent to the local authority concerned which shall get the information entered into the records maintained in respect of such land or building, as the case may be.”.

13. Insertion of section 63-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 63 and before the existing section 64 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“63-A. Invalidation of stamps and saving.- Notwithstanding anything contained in sections 58, 61, 62 and 63,-

- (a) any stamp which has been purchased on or after the date of commencement of the Rajasthan Finance Act, 2013 (Act No..... of 2013) (hereinafter referred to as “the said date”) shall be used or presented for claiming allowance within a period of six months from the date of purchase. Any such stamp, which has not been used or no allowance has been claimed in respect thereof within the period of six months from the date of purchase, shall be rendered invalid;
- (b) any stamp which has been purchased but has not been used or no allowance has been claimed in respect thereof before the said date, may be used or presented for claiming the allowance under the relevant provisions of the Act within a period of six months from the said date. The stamp which has not been used or presented within the aforesaid period of six months shall be rendered invalid.”.

14. Amendment of section 85, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 85 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1),-
- (a) for the existing expression "clause (ia) and (xxxvi) ", the expression "clause (ia) and (xxxvii)" shall be substituted;
 - (b) for the existing expression "records, papers documents or proceedings, the inspection", the expression "records including electronic records, papers, documents or proceedings, the inspection" shall be substituted;
 - (c) for the existing expression "Sub Divisional Officer", the expression "Tehsildar" shall be substituted; and
 - (d) for the existing expression "papers, documents and proceedings and to take", the expression "records including electronic records, papers, documents and proceedings and to take" shall be substituted; and
- (ii) in sub-section (2) for the existing expression "records, papers, documents or proceedings", the expression "records including electronic records, papers, documents or proceedings" shall be substituted.

CHAPTER V

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2008

15. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 11 of 2008.- In section 16 of the Rajasthan Finance Act, 2008 (Act No. 11 of 2008), for the existing expression "rupees five hundred", the expression "rupees five thousand" shall be substituted.

CHAPTER VI

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN CONTINGENCY FUND ACT, 1956

16. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 40 of 1956.- In sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Contingency Fund Act, 1956 (Act No. 40 of 1956), for the existing expression "two hundred crores of rupees", the expression "five hundred crores of rupees" shall be substituted.